एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)

Great Place To Work. Certified FEB 2025-FEB 2026 INDIA

आर्बिट्रेशन सेल
Arbitration Cell
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33, फ़रीदाबाद (हरियाणा) – 121003
NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad (Haryana)-121003
ईमेल/Email: arbtcell-co@nhpc.in
वैबसाइट/Website: www.nhpcindia.com

सं. एनएच/पंचाट सेल/EOI/2026/

दिनांक:03.09.2026

एनएचपीसी लिमिटेड में मध्यस्थों की पैनलबद्धता हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

1. एनएचपीसी लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम, भारत में जलविद्युत विकास का सबसे बड़ा संगठन है। इसके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा (Conceptualization) से लेकर उन्हें चालू करने (Commissioning) तक की सभी गतिविधियों को संपन्न करने की पूर्ण क्षमता और विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा विकास के क्षेत्र में भी व्यापक विविधीकरण किया है। एनएचपीसी वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सूचीबद्ध एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक कंपनी है।
2. भारत सरकार के एक 'नवरत्न' उद्यम के रूप में, एनएचपीसी ने अब तक 9332.90 मेगावाट (MW) की कुल स्थापित क्षमता वाली 31 परियोजनाओं का सफल निष्पादन किया है। इसमें संयुक्त उद्यमों (Joint Ventures) के माध्यम से उत्पादित 1681.7 मेगावाट क्षमता भी सम्मिलित है। इस उत्पादन क्षमता का विवरण इस प्रकार है: 24 जलविद्युत स्टेशनों से 8771.2 मेगावाट, छह (06) सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 511.70 मेगावाट और एक पवन ऊर्जा परियोजना से 50 मेगावाट। वर्तमान में, एनएचपीसी अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के साथ मिलकर 9204 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 17 परियोजनाओं के निर्माण कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है।
3. परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, समय-समय पर ठेकेदारों के साथ विभिन्न संविदात्मक विवाद उत्पन्न होते हैं। पक्षों के मध्य ऐसे विवादों के समाधान हेतु अनुबंधों में मध्यस्थता (Arbitration) का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनएचपीसी अपनी वर्तमान या पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में उत्पन्न होने वाले अनसुलझे विवादों के अधिनिर्णय हेतु 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' (Arbitral Tribunal) के गठन के लिए 'नामित मध्यस्थ' (Nominee Arbitrator) की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल बनाए रखती है।
4. तदनुसार, 75 लाख रुपये से अधिक मूल्य के विवादों वाले मामलों के अधिनिर्णय हेतु एनएचपीसी द्वारा नामित मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, निर्धारित योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों से 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)' आमंत्रित की जाती है।

5. अनिवार्य आवश्यकताएं और पात्रता मानदंड (Essential Requirements)

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के इच्छुक महानुभाव, जो निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करते हैं, वे इस EOI के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर पैनल में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं:

i) पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

सेवानिवृत्त केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी, जिन्होंने केंद्र सरकार में सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव अथवा उसके समकक्ष पद का वेतनमान धारण किया हो।

अनुसूची "ए" (Schedule A) संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिन्होंने कार्यकारी निदेशक (ED) या उससे ऊपर का पद धारण किया हो तथा जिनके पास तकनीकी, वित्त या कानून संवर्ग में जलविद्युत एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों या विवाद समाधान तंत्र को संभालने का

आर्बिट्रेशन सेल
Arbitration Cell
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33, फ़रीदाबाद (हरियाणा) - 121003
NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad (Haryana)-121003
ईमेल/Email: arbtcell-co@nhpc.in
वेबसाइट/Website: www.nhpcindia.com

अनुभव हो।]इसके लिए एनएचपीसी के E-9 स्तर का वेतनमान आधार होगा: 1,50,000 - 3,00,000 रुपये, दिनांक 01.01.2017 से संशोधित (पूर्व संशोधित वेतनमान 62,000 - 80,000 रुपये([।
केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ (Engineer-in-Chief) या उससे ऊपर के स्तर के तकनीकी, वित्त या कानून संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा उनके समकक्ष, जिन्हें जलविद्युत या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों या विवादों को संभालने का विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो।
ii) आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii) पैनलबद्ध व्यक्ति अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए पैनल में रहेंगे, जिसके पश्चात उनका नाम स्वतः ही पैनल से हट जाएगा। तथापि, वे अपने कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई मध्यस्थता कार्यवाहियों को पूर्ण होने तक जारी रख सकेंगे।
iv) वह व्यक्ति, जिसे ठेकेदार द्वारा एनएचपीसी के विरुद्ध किसी विवाद में पहले से ही अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, इस पैनलबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा।
v) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह एनएचपीसी के साथ पैनलबद्धता की अवधि के दौरान एनएचपीसी, इसके संयुक्त उद्यमों (JVs) या सहायक कंपनियों के किसी भी ठेकेदार से एनएचपीसी के विरुद्ध कोई भी कार्य या असाइनमेंट स्वीकार नहीं करेगा।
vi) पैनलबद्धता हेतु आवेदन केवल एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट या सीपीपी (CPP) पोर्टल पर प्रकाशित इस EOI के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर प्रशासनिक सुगमता हेतु **'पहले आओ पहले पाओ' (First Come First Serve)** के आधार पर विचार किया जाएगा।
vii) इस EOI के माध्यम से पैनल में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।
viii) एनएचपीसी बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखती है।
ix) एनएचपीसी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय बिना कोई कारण बताए पैनल में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ सके अथवा हटा सके।
x) पैनलबद्ध किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थता के मामले सौंपना पूरी तरह से एनएचपीसी का आंतरिक प्रशासनिक और विवेकाधीन निर्णय होगा।

6. **एनएचपीसी** के मध्यस्थ पैनल में सूचीबद्ध होने के इच्छुक महानुभाव निम्नलिखित विवरणों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:

(a) पूर्ण नाम
(b) जन्म तिथि
(c) पत्राचार का पता
(d) टेलीफोन/मोबाइल नंबर
(e) ईमेल पता
(f) शैक्षणिक योग्यता का विवरण
(g) पेशेवर अनुभव का विस्तृत विवरण
(h) मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव
(i) एनएचपीसी के साथ कोई पिछला जुड़ाव)यदि हो(
(j) अंतिम धारित पद, वेतनमान और सेवानिवृत्ति का वर्ष
(k) अनिवार्य आवश्यकता क्रम संख्या 5 (iv) के संबंध में स्व-घोषणा

आर्बिट्रेशन सेल
Arbitration Cell
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33,
फ़रीदाबाद (हरियाणा) – 121003
NHPC Office Complex, Sector-33,
Faridabad (Haryana)-121003
ईमेल/Email: arbtcell-co@nhpc.in
वैबसाइट/Website: www.nhpcindia.com

(I) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

7. पैनलबद्धता के आवेदन के साथ आयु का प्रमाण और अंतिम धारित पद से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2019 में संशोधित(** की **पांचवीं और सातवीं अनुसूची** के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूर्ण करता है। एनएचपीसी या इसकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों)जैसे एनएचडीसी, सीवीपीपी आदि(के पूर्व कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की तारीख से 03 वर्ष की 'कूलिंग-ऑफ' अवधि पूर्ण करने के पश्चात ही आवेदन के पात्र होंगे।

8. आवेदन डाक या ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं:

कार्यपालक निदेशक (मध्यस्थता सेल)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003
ईमेल: arbtcell-co@nhpc.nic.in /arbtcell-co@nhpc.in
अतिरिक्त जानकारी हेतु महाप्रबंधक)मध्यस्थता(के कार्यालय से दूरभाष संख्या 0129-2588055 पर संपर्क किया जा सकता है।

9. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि दी गई जानकारी असत्य या भ्रामक है, तो एनएचपीसी उक्त व्यक्ति का नाम पैनल से हटाने, उन्हें भविष्य के किसी भी कार्य से प्रतिबंधित)Ban) करने और कानून के अंतर्गत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
10. इस EOI के जारी होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. इस सूचना के संबंध में कोई भी संशोधन या शुद्धिपत्र (Corrigendum) केवल एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट अथवा सीपीपी पोर्टल पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

अशोक

(अशोक कुमार नौरियाल)
कार्यपालक निदेशक (मध्यस्थता सेल)
कॉर्पोरेट कार्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड

अस्वीकरण (Disclaimer): मध्यस्थों की पैनलबद्धता हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाला यह नोटिस न तो कोई औपचारिक समझौता है और न ही एनएचपीसी द्वारा संभावित आवेदकों को दिया गया कोई विधिक प्रस्ताव। इस सूचना का एकमात्र उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्राथमिक जानकारी प्रदान करना है जो उन्हें इस नोटिस के अनुसरण में अपना आवेदन तैयार करने में सहायक हो सके। किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए, इस EOI का अंग्रेजी संस्करण मान्य माना जाएगा।